न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

म्यूटेशन अपील संख्या : 28 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 48

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. पोनी पुत्री दरगाराम 2. पुष्पा पुत्री दरगाराम जाति सीरवी चौधरी निवासीगण–बाली तहसील बाली जिला पाली		1. रुपाराम पुत्र दरगाराम 2.पेमाराम पुत्र दरगाराम 3.देवी पत्नी दरगाराम जातिगण सीरवी चौधरी निवासी बेरा बड़ा अरट,बाली तहसील बाली जिला पाली राज. 4.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार,बाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत तहसीलदार,बाली द्वारा ग्राम बाली के नामान्तरकरण संख्या 507 पर पारित स्वीकृती आदेश दिनांक 22.04.1999

–: निर्णय:–

दिनांक: 13.02.2024

उपस्थिति : वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट पोनी,पुष्पा पुत्री दरगाराम निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1,2 व 3 स्वर्गीय दरगाराम की वैध वारिसान एवं उतराधिकारी है। दरगाराम पुत्र नवाराम का स्वर्गवास हो गया है, तथा उनके विधिक वारिसों व उत्तराधिकारीगण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 01, 02 व तीन है जो तमाम जीवित अवस्था में है। श्री दरगाराम पुत्र नवाराम के स्वर्गवास के पश्चात दिनांक 22.04.1999 को नामान्तरकरण संख्या 507 जो अप्रार्थी संख्या 04 के अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का, बाली ने नामान्तरकरण संख्या 507 नामांतकरण पंजिका में खोला गया जिसमें प्रार्थीगण का नाम छोड़ते हुए अप्रार्थी संख्या 1,2 व तीन का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण भी स्वर्गीय दरगाराम के विधिक पुत्रीयां होने से उनकी विधिक वारिस थी। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 507 दिनांक 22.04.1999 स्वर्गीय दरगाराम के वारिसान की जांच किए बगैर दर्ज कर दिया गया जो विधि विरुद्ध भरा गया है जो निरस्त करने योग्य है अपील के साथ अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम भी प्रस्तुत किया। प्रकरण सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को को नोटिस जारी किए गए। अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रकरण में संबंधित नामान्तरकरण संख्या 507 दिनांक 22.04.1999 को भरा गया है जो अपीलांट की सहमति से भरा है। अपील सन् 2019 में प्रस्तुत की गई है जो नामान्तरकरण भरने के करीब 20 वर्ष बाद पेश की गई है। जो स्पष्ट रुप से मियाद से बाहर है जिसके बारे में कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण अपीलांट की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है तथा न ही इस संबंध में अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस में भी कोई स्पष्टीकरण बताया गया है। जबकि दोनो अपीलांट स्थाई रुप से बाली के निवासी है ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्पष्ट रुप से मियाद से बाहर मानते हुए खारिज फरमाया जाना न्यायसंगत है

हमने पत्रावली पर प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का गहनता से अध्ययन किया है और इस निष्कर्ष पर पहूंचें है कि रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार अपीलांट अपनी अपील में प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में कोई स्पष्ट कारण बताने में विफल रहा है जबकि अपीलांट स्थानीय बाली की ही मूल निवासी है। यहां तक कि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में भी नकल प्राप्त करने की तारीख तक अंकित नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड वापिस भिजवाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ बाली (पाली) ★

13/2/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

R.A.S.

अतिरिक्त जिला कलक्टर

बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली